casting vote.

10. It shall be duty of the Secretary to duly record or cause to be recorded the minutes of every meeting in the register to be maintained for the purpose.

11. A copy of the proceedings of every meeting shall be sent to the State Authority as soon as may be after the meeting

12. The non-official Members shall be entitled to payment of Travelling allowance and daily allwance in respect of the Journeys performed in connection with the work of the District Authority at the rates admissible to a group 'A' officer of the State Government.

Funds/Accounts and Audit of the District Authority

6. 1. The District Legal Aid Fund shall consist of the following, namely :-

(a) all sums of money paid or any grants made by the Stae Authority to the District Authority for the purposes of the Act;

(b) any grants or donatins that may be made to the District authority by any person with the prior approval of the State Authority, for the purposes of the Act;

(c) any other amount received by the District Authority under the orders of any Court or from any other source.

2. The District Legal Aid fund shall be applied for meeting the Cost of the functions referred to in sub-section (2) of Section 17.

3. The accounts and other relevant records and statement of the District Authority shall be maintained properly in such from and in such manner as may be prescribed under Section 18 and until so prescribed it shall be done as may be directed by the State Authority.

CHAPTER - III

Legal Services

Criteria for giving Legal Services

12. गैर सरकारी सदस्य जिला प्राधिकरण के कार्यों के सम्बन्ध में की गई यात्राओं के लिये राज्य सरकार के समूह "क" के अधिकारी को अनुमन्य दरों पर यात्रा-भत्ता और दैनिक भत्ते का भुगतान पाने के अधिकारी होंगे।

जिला प्राधिकरण की निधियाँ, लेखे

6. 1. जिला विधिक सहायता निधि में निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:

(क) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये राज्य प्राधिकरण द्वारा जिला प्राधिकरण को संदत्त सभी धनराशि या दिये गये अनुदान;

(ख) कोई ऐसे अनुदान या दान, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये किसी व्यक्ति द्वारा, राज्य प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से जिला प्राधिकरण को दिये जाय।

(ग) जिला प्राधिकरण, द्वारा किसी न्यायालय के आदेशों के अधीन या अन्य स्रोत से प्राप्त की गई कोई अन्य रकम।

2. धारा 17 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट कृत्यों पर किया गया व्यय जिला विधिक सहायता निधि से वहन किया जायेगा।

3. जिला प्राधिकरण के लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख और विवरण को धारा-18 के अधीन यथा विहित ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से उचित तौर पर रखा जायेगा और जब तक कि ऐसा विहित न कर दिया जाय राज्य प्राधिकरण के निर्देश के अनुसार किया जायेगा।

अध्याय तीन

विधिक सेवायें

विधिक सेवायें दिये जाने का मानदण्ड

7. 1. जिले के भीतर किसी सिविल, आपराधिक या राजस्व न्यायालय या जिला स्तर पर न्यायिक या न्यायिक कल्प कृत्यों के प्रयोग के लिये किसी विधि के अधीन गठित किसी प्राधिकरण के समक्ष मामलों में जिला प्राधिकरण द्वारा विधिक सहायता, विधिक सलाह या अन्य विधिक सेवायें उपलब्ध कराई जा सकती है।

2. कोई व्यक्ति विधिक सहायता, विधिक सलाह या अन्य विधिक सेवाओं का हकदार होगा यदि वह व्यक्ति :-

7. 1. Legal Aid, Legal Advice or other Legal Service may be provided by the District Authroty in matters before any civil, criminal or revenue court within the district or any authority constituted under any Law to exercise Judicial or Quasi-Judicial functions at the district level.

2. A person shall be entitled to Legal Aid, Legal Advice or there Legal Services if that person is:

(a) a member of a Scheduled Caste or Scheduled Tribe;

(b) a victim of trafficking in human beings or begar as referred to in Article 23 of the Constitution of India;

(c) a woman or a child;

(d) a mentally ill or otherwise disabled persons;

(e) a person under circumstances of undeserved want, such as being a victim of a mass disaster ethnic violence, caste atrocity, flood, drought, earthquake or industrial diaster; or

(f) an Industrial workman; or

(g) in custody, including custody in a protective home within the meaning of clause (g) of section 2 of the Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 or in a Juvenile Home within the menaing of clause (1) of Section 2 of the Juvenile Justice Act, 1986, or in a Psychiatric Hospital or Psychiatric Nursing Home within the meaning of clause (g) of Section 2 of the Mental Health Act, 1987; or

(h) in receipt of annual income from all sources upto rupees twelve thousand or higher amount as may be fixed, from time to time, under rule 16 of the Rules.

Refusal to provide Legal Aid, Legal Advice or Legal Services

8. 1. Legal Aid, Legal Advice or to other Legal Services may by refused :-

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है;

(ख) संविधान के अनुच्छेद 23 में यथानिर्दिष्ट मानव दुर्व्यापार या बेगार का सताया हुआ है;

(ग) स्त्री या बालक है;

(घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ या अन्यथा असमर्थ है;

(ङ) अनपेक्षित अभाव जैसे बहु विनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति है, या

(च) कोई औद्योगिक कर्मकार है, या

(छ) अभिरक्षा में है, जिसके अन्तर्गत अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खण्ड (छ) के अर्थ में किसी संरक्षण गृह में, या किशोर न्याय अधिनियम, 1986 की धारा 2 के (न) के अर्थ में किसी किशोर गृह में या मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की धारा 2 के खण्ड (छ) के अर्थ में किसी मनश्चिकित्सीय अस्पताल या मनश्चिकित्सीय परिचर्या गृह में अभिरक्षा में रखा गया व्यक्ति भी है, या

(ज) सभी स्रोतों से वार्षिक आय 25,000 रूपए तक या नियमावली के नियम 16 के अधीन समय-समय पर यथानियत उच्चतर धनराशि प्राप्त करता हो;

विधिक, सहायता विधिक सलाह या अन्य विधिक सेवायें प्रदान करने से इन्कार किया जाना

8. 1. विधिक सहायता, विधिक सलाह या अन्य विधिक सेवायें प्रदान करने से;

(क) किसी व्यक्ति को न्यायालय की अवमानना के मामले में;

(ख) किसी व्यक्ति को किसी निर्वाचन से संबंधित कार्यवाही में;

(ग) मानव का दुर्व्यापार के पीड़ित के सिवाय अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के अधीन कार्यवाहियों में;

(घ) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन कार्यवाहियों में, सिवाय किसी व्यक्ति के जो इस अधिनियम

(a) to a person in a case of contempt of Court;
(b) to a person in proceeding relating to any Election;
(c) in proceedings under Immoral Traffic (prevention) Act, 1956 except to a victim of trafficking in human beings;
(d) in proceeding under the protection of Civil Right Act, 1955 except to a person who is subjected to any disability under this Act;
(e) to a person accused of an offence committed under the Schduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989

2. Legal Services may also be refused in respect of a case of defamation or malicious prosecution where the Secretary is satisfied that it is a suitable case for such refusal in the totality of facts;

Provided that reasons for refusing legal services shall be recorded in writing and order of the Chairman shall be obtanied before the legal services are refused under these regulations.

Modes of providing Legal Services

9. Legal Services may be given in any one or more of the following modes, namely:
   a. towards payment of Court-fee, Process-fee and other charges payable or incurred in connection with any legal proceedings;
   b. through engagement of a Legal practitioner,
   c. for obtaining and supply of certified copies of Judgement, order and other documents in legal proceedings.

   Provided that payment of court-fee, process-fee and other expenses shall be allowed to the extent as per the general orders of the State Authority.

Application for Legal Services

10. 1. Any person requiring legal aid, legal advice or legal services may make an application

के अधीन किसी निर्योग्यता के अधीन रखा गया हो;

(ङ) किसी व्यक्ति को जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन किए गये किसी अपराध का अभियुक्त हो; इन्कार किया जा सकता है।

2. मानहानि या विद्वेषपूर्ण अभियोजन के किसी मामले के सम्बन्ध में भी विधिक सेवाओं से इन्कार किया जा सकता है जहां सचिव का यह समाधान हो जाय कि तथ्यों की पूर्णता में ऐसे इन्कार किए जाने का उपयुक्त मामला है;

प्रतिबन्ध यह है कि इस विनियम के अधीन विधिक सेवायें प्रदान करने से इंकार किये जाने के पूर्व विधिक सेवायें प्रदान करने से इंकार करने के कारणों को अभिलिखित किया जायेगा और अध्यक्ष का आदेश प्राप्त किया जायेगा।

विधिक सेवायें प्रदान करने के ढंग

9 निम्नलिखित किसी एक या अधिक ढंग में विधिक सेवायें प्रदान की जा सकती है, अर्थात्-

क. न्याय-शुल्क, आदेशिका-शुल्क और किसी विधिक कार्यवाही के सम्बन्ध में देय या उपगत अन्य प्रभारों के भुगतान के प्रति;

ख. किसी विधि व्यवसायी के नियुक्ति के माध्यम से;

ग. विधिक कार्यवाहियों में निर्णय, आदेश और अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने और उपलब्ध कराने के लिये;

प्रतिबन्ध यह है कि न्याय शुल्क आदेशिका शुल्क और अन्य खर्चों के भुगतान राज्य प्राधिकरण के सामान्य आदेशों की सीमा तक ही स्वीकृत होंगे।

विधिक सेवाओं के लिये आवेदन पत्र

10. 1. विधिक सहायता, विधिक सलाह या विधिक सेवाओं की अपेक्षा करने वाला कोई व्यक्ति सचिव को सम्बोधित आवेदन पत्र दे सकता है।

2. जिला प्राधिकरण आवेदन पत्रों का एक रजिस्टर रखेगा जिसमें विधिक सहायता, विधिक सलाह या विधिक सेवाओं के लिए सभी आवेदन पत्र अंकित और रजिस्ट्रीकृत किए

addressed to the Secretary.

2. The District Authority shall maintain a register of applications wherein all applications for legal aid, legal advice or legal services shall be entered and registered and the action taken on such applications shall be noted against the entry relating to each such application.

Disposal of Applications

11. 1. On receipt of an application for legal aid, legal advice or legal services the Secretary shall scrutinise the application to satisfy himself that the same is in order as regards eligibility and other requirements of the rules and regulations an, wherever warranted, the applicant may be required to Submit further information as may be necessary.

2. The Secretary shall consider the application and pass necessary order for granting or refusing to provide legal aid, legal advice or other legal services:

Provided that where it proposed to disallow the application, reasons for so doing shall be duly recorded in the register of applications maintained for the purpose.

Provided further that the order of the Chairman shall be obtained before a person is denied legal aid, legal advice or legal services.

3. No aplication for legal aid, legal advice or legal servces shall be allowed, if the Secretary is satisfied that:

(a) the applicant has knowingly made false statement or furnished false information as regards his means or in respect of any other material fact; or

(b) there is no prima-facie case to institute or as the case may be, to defend the proceedings; or

(c) the application is frivolous or vexatious:

(d) the applicant is not entitled to the same

जायेंगे और ऐसे आवेदन पत्रों पर की गई कार्यवाही प्रत्येक ऐसे आवेदन पत्र से सम्बन्धित प्रविष्टि के सामने अंकित की जायेगी।

आवेदन पत्रों का निस्तारण

11.1. विधिक सहायता, विधिक सलाह या विधिक सेवाओं के लिए कोई आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सचिव आवेदन पत्रों की संवीक्षा अपना समाधान करने के लिए कि वह जहां तक पात्रता और नियमावली और विनयमावली की अन्य अपेक्षाओं का सम्बन्ध है ठीक है, करेगा और जहां कहीं आवश्यक हो आवेदक यथावश्यक अग्रतर सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा।

2. सचिव आवेदन पत्र पर विचार करेगा और विधिक सहायता, विधिक सलाह या अन्य विधिक सेवाओं को दिए जाने या दिए जाने से इन्कार करने के लिए आवश्यक आदेश पारित करेगा;

प्रतिबन्ध यह है कि जहां आवेदन पत्रों को अस्वीकार करने का प्रस्ताव किया जाय तो वहां ऐसा करने के कारणों को इस प्रयोजन के लिए रखे गये आवेदन पत्रों के रजिस्टर में सम्यक् रूप से अभिलिखित किया जायेगा;

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति को विधिक सहायता, विधिक सलाह या विधिक सेवाओं से इन्कार किए जाने के पूर्व अध्यक्ष का आदेश प्राप्त किया जायेगा।

3. विधिक सहायता, विधिक सलाह या विधिक सेवाओं के लिये कोई आवेदन पत्र स्वीकृत नहीं किया जायेगा, यदि सचिव का समाधान हो जाय कि :

(क) आवेदक ने अपने साधनों के सम्बन्ध में या किसी अन्य सारवान तथ्य के सम्बन्ध में जानबूझकर गलत विवरण दिया है या गलत सूचना दी है; या

(ख) यथास्थिति, कार्यवाहियों को संस्थित करने या उनका प्रतिवाद करने के लिये कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है; या

(ग) आवेदन पत्र तुच्छ या तंग करने वाला है; या

(घ) इस विनियमावली के अधीन आवेदक उसका हकदार नहीं है; या

(ङ) मामले की समस्त सुसंगत, तथ्यों और परिस्थितियों को

under these regulations : or

(e) having regard to all the relevant facts and circumstances of the case, it is otherwise not expedient and reasonable to grant it.

Provided that order of the Chairman shall be obtained before an application is disallowed under any of the aforesaid clauses.

Duty of aided person

12. Every aided person or his representative shall attend the office of the District Authority as and when required by the Secretary or by the Advocate concerned and shall provide and furnish such particulars or information as may be considered necessary and shall make full disclosure of the particular or information so required. He shall attend the court or proceedings at his own expense.

Certificate of Eligibility

13.1. Where an application for legal aid, legal advice or legal services is allowed, a certificate of eligibility will be issued in favour of the applicant entitling him to legal aid, legal advice or legal services in respect of a proceeding.

2. The certificate of eligibility shall stand cancelled if the legal aid, legal advice or legal services is withdrawn. In every such case the advocate to whom the case of the person concerned is assigned, as also the court or judicial or quasi-judicial authority, before which the case is pending, shall be informed accordingly in writing.

Cancellation of certificate of eligibility

14. 1. The District Authority may, either on its own motion or otherwise, cancel the certificate of eligibility granted under regulation 13 in the following circustances, namely:

(a) in the event of being found that the certificate of eligibility was obtained by the aided person by Mis-representation of fraud;

ध्यान में रखते हुये इस स्वीकृत करना अन्यथा समीचीन और युक्तियुक्त नहीं है;

परन्तु उपर्युक्त किन्हीं खण्डों के अधीन किसी आवेदन को अस्वीकृत किये जाने के पूर्व अध्यक्ष का आदेश प्राप्त किया जायेगा।

सहायता प्राप्त व्यक्ति का कर्त्तव्य

12. प्रत्येक सहायता प्राप्त व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि, जब कभी सचिव या सम्बद्ध अधिवक्ता द्वारा अपेक्षा की जाय, जिला प्राधिकरण के कार्यालय में उपस्थित होगा और ऐसे विवरण या सूचना जैसी आवश्यक समझी जाय, देगा और प्रस्तुत करेगा और इस प्रकार अपेक्षित विवरण या सूचना को पूर्ण रूप से प्रकट करेगा। वह न्यायालय या कार्यवाहियों में अपने खर्चे पर उपस्थित होगा।

पात्रता प्रमाण पत्र

13.1. जहां विधिक सहायता, विधिक सलाह या विधिक सेवाओं के लिए कोई आवेदन पत्र स्वीकृत कर लिया जाय तो आवेदक के पक्ष में उसे किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में विधिक सहायता, विधिक सलाह या विधिक सेवाओं का हकदार करते हुए एक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।

2. यदि विधिक सहायता, विधिक सलाह या विधिक सेवायें वापिस ले ली जाती हैं तो पात्रता प्रमाण-पत्र निरस्त हो जायेगा। ऐसे प्रत्येक मामले में अधिवक्ता जिसे संबंधित व्यक्ति का मामला समनुदेशित किया गया है और साथ ही न्यायालय या न्यायिक कल्प प्राधिकरण जिसके समक्ष मामला लम्बित है को भी तद्नुसार लिखित रूप में सूचित किया जायेगा।

पात्रता प्रमाण पत्र का निरस्तीकरण

14.1. जिला प्राधिकरण या तो अपनी स्वप्रेरणा से या अन्यथा निम्नलिखित परिस्थितियों में विनियम 13 के अधीन दिये गये पात्रता प्रमाण-पत्र को निरस्त कर सकता है, अर्थात्-

(क) यह पाये जाने की दशा में कि सहायता प्राप्त व्यक्ति द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र दुर्व्यपदेशन या कपट द्वारा प्राप्त किया गया है;

(b) in the event of any material change in the circustances of the aided person;

(c) in the event of any misconduct, misdemeanour or negligence on the part of the aided person in the course of proceedings.

(d) in the event of the aided person not cooperating with the District Authority or with the advocate provided by the District Authority;

(e) in the event of the aided person engaging on advocate at his own expense who in the opinion of the Secretary can suitably look after the matter;

(f) in the event of the death of aided person, however, in the case of civil proceedings where the right or liability survives; legal services may be continued where the legal representative is also eligible for such aid;

2. No certificate of eligibility shall be cancelled under clause (1) without affording on opportunity to the aided person or to his legal representative in the event of his death to show cause as to why the certificate should not be cancelled.

3. Where the certificate of eligibility of aided person is cancelled under sub-regulation (1), legal aid, legal advice or legal services shall be discontinued and the amount already given for such legal aid, legal advice or legal service may be recovered in full or part as may be decided by the Secretary with the approval of the Chairman.

Fee or Honourarium payable to Legal Practitioners on the Panel

15. 1. A panal of suitable advocates who are agreable to conduct the case or Proceedings on behalf of the persons in whose favour a certificate of eligibility has ben issued shall be prepared by the District Authority. Ordinarily the panel so prepared shall be valid

(ख) सहायता प्राप्त व्यक्ति की परिस्थितियों में कोई सारवान परिवर्तन होने की दशा में;

(ग) कार्यवाहियों के दौरान सहायता प्राप्त व्यक्ति की ओर से किसी अवचार दुर्व्यवहार उपेक्षा की दशा में;

(घ) सहायता प्राप्त व्यक्ति द्वारा जिला प्राधिकरण के साथ या जिला प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता के साथ सहयोग न किये जाने की दशा में;

(ङ) सहायता प्राप्त व्यक्ति द्वारा अपने व्यय पर किसी अधिवक्ता को नियुक्त किये जाने की दशा में, जो सचिव की राय में मामले की उपयुक्त रूप से देख-भाल कर सकता है;

(च) सहायता प्राप्त व्यक्ति की मृत्यु की दशा में, तथापि सिविल कार्यवाहियों के मामलों में जहाँ अधिकार या उत्तरदायित्व उत्तरजीवित हो; ऐसी दशा में विधिक सहायता जारी रखी जा सकती है जहां विधिक प्रतिनिधि भी ऐसी सहायता के लिये पात्र हैं।

2. सहायता प्राप्त व्यक्ति को या उसकी मृत्यु की दशा में उसके विधिक प्रतिनिधि को बिना कारण बताने का अवसर दिये, कि प्रमाण पत्र क्यों न निरस्त कर दिया जाय, खण्ड (1) के अधीन कोई पात्रता प्रमाण पत्र निरस्त नहीं किया जायेगा।

3. जहां सहायता प्राप्त व्यक्ति का पात्रता प्रमाण पत्र उपविनियम (1) के अधीन निरस्त कर दिया जाय वहां विधिक सहायता, विधिक सलाह या विधिक सेवायें रोक दी जायेंगी और ऐसी विधिक सहायता विधिक सलाह या विधिक सेवाओं के लिये पहले से दी गई धनराशि पूरी या आंशिक जैसा कि अध्यक्ष के अनुमोदन से सचिव द्वारा विनिश्चित की जाय, वसूल की जा सकती है।

पैनल के विधि व्यवसायी को देय फीस या मानदेय

15.1. जिला प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त अधिवक्ताओं का जो ऐसे व्यक्तियों की ओर से जिनके पक्ष में पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया है मामलों या कार्यवाहियों को संचालित करने को सहमत हों, का एक पैनल तैयार किया जायेगा। सामान्यतः ऐसा तैयार किया गया पैनल दो वर्ष के लिये विधिमान्य होगा। इस प्रकार तैयार किये गये पैनल की एक प्रति राज्य

for two years. A copy of the panal so prepared shall be sent to the State Authority for informatin, advice and direction if any. Such advocates shall be paid fee or honorarium at such rates as may be determined, from time to time, by the State Authority. Until so determined the rates of fee or honorarium fixed for the purpose under relevant State Government orders shall continue.

2. No legal practitioner to whom any case is assigned for legal aid legal advice or legal services shall receive any fee or remuneration, whether in cash or kind or any other advantage, monetary or other wise, from the aided person or from any other person on his behalf.

3. A legal practitioner on the panel, who has completed his assignment, shall submit a statement showing the fee or honorarium due to him in connection with the legal proceedings conducted by him on behalf of the aided person to the Secretary who shall, after due scrutiny and approval of the Chairman, sanction the amount to be paid to the advocate concered.

4. An advocate may provide legal aid, legal advice or legal services without charging any fee or honorarium.

5. The chairman may, in suitable cases, appoint any advocate, not on panel, to file or defend case.

C.P. Mishra,
Member-Secretary,
State Legal Services Authority,
Lucknow

By order
N.K. Mehrotra
Pramukh Sachiv, Judicial,
Government of U.P.,
Lucknow

प्राधिकरण को सूचना, सलाह और निर्देश यदि कोई हों के लिये भेजी जायेगी। ऐसे अधिवक्ताओं को राज्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा अवधारित दर पर फीस या मानदेय का भुगतान किया जायेगा। जब तक इस प्रकार अवधारित न किया जाय राज्य सरकार के सुसंगत आदेशों के अधीन इस प्रयोजन के लिये निर्धारित फीस या मानदेय की दरें जारी रहेंगी।

2. कोई विधि व्यवसायी जिसे विधिक सहायता, विधिक सलाह या विधिक सेवाओं के लिये कोई मामला समनुदेशित किया है, किसी सहायता प्राप्त व्यक्ति से या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति से कोई फीस या पारिश्रमिक चाहें नकद या वस्तु रूप में या कोई अन्य लाभ, आर्थिक या अन्यथा प्राप्त नहीं करेगा।

3. पैनल का कोई विधि व्यवसायी, जिसने सहायता प्राप्त व्यक्ति की ओर से उसके द्वारा संचालित की गयी विधिक कार्यवाहियों के सम्बन्ध में अपना समनुदेशन पूरा कर लिया है देय फीस या मानदेय को दर्शाते हुए एक विवरण सचिव को प्रस्तुत करेगा, जिस पर सचिव सम्यक् संवीक्षा और अध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात् सम्बन्धित अधिवक्ता को भुगतान की जाने वाली धनराशि स्वीकृत करेगा।

4. कोई अधिवक्ता बिना कोई फीस या मानदेय लिये विधिक सहायता, विधिक सलाह या विधिक सेवायें प्रदान कर सकता है।

5. अध्यक्ष उपयुक्त मामलों में किसी अधिवक्ता को जो पैनल में नहीं है किसी मामले को दाखिल या प्रतिवाद करने के लिये नियुक्त कर सकता है।

सी.पी. मिश्रा
सदस्य-सचिव,
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ।

आज्ञा से
एन.के. मेहरोत्रा
प्रमुख सचिव, न्याय,
उ.प्र. शासन, लखनऊ

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 29/SLSA- 88-98, dated March 15, 1999 for general information;\:

No. 29/SLSA- 88-98

March 15, 1999

In exercise of the powers conferred by Section 29-A of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Act no. 39 of 1987) the Uttar Pradesh State Legal Services Authority hereby makes the following regulations:

THE TEHSIL LEGAL SERVICES COMMITTEES REGULATION, 1997

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement

1. These regulation may be called the Tehsil Legal Services Committees Regulations, 1999.

2. These regulations shall come into force with effect from the date of their publication in the Uttar Pradesh Gazette.

2. Definitions

In these regulations, unless the context otherwise requires-

a. "Act" means the Legal Services Authorities Act, 1987 (Act no. 39 of 1987);

b. "Aided person" means a person who has been provided Legal Aid, Legal Advice or Legal Services in any form;

c. "Chairman" mean's the Chairman of Tehsil Legal Services Committee;

d. "Committee" means the Tehsil Legal Services Committee;

e. "District Authority" means District Legal Services Authority of the district constituted under section 9;

f. "Government" means the State Government of Uttar Pradesh;

उत्तर प्रदेश सरकार

न्याय अनुभाग–7

संख्या 29/एस.एल.एस.ए.- 88/98

15 मार्च, 1999 ई.

अधिसूचना

सा.प.नि.- 23

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (अधिनियम संख्या 39 सन् 1987) की धारा 29-क द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियमावली बनाते है।

तहसील विधिक सेवा समिति विनियमावली, 1999 ई0

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) यह विनियमावली तहसील विधिक सेवा समिति विनियमावली, 1999 कही जायेगी।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनाँक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2. जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस विनियमावली में-

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (अधिनियम संख्या 39 सन् 1987) से है;

(ख) "सहायता प्राप्त" व्यक्ति का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसको विधिक सहायता, विधिक सलाह या विधिक सेवायें किसी भी रूप में उपलब्ध कराई गई हों;

(ग) "अध्यक्ष" का तात्पर्य तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष से है;

(घ) "समिति" का तात्पर्य तहसील विधिक सेवा समिति से है;